रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2135] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2017/श्रावण 10, 1939
No. 2135] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2017/SRAVANA 10, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

सं. 18/2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) को आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पणी के पैरा 13 में संशोधन।

का.आ. 2433(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) की आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पणी के पैरा 13 में संशोधन करती है, जो इस प्रकार हैः

आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पणी का मौजूदा पैरा 13	आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पणी का 'प्रस्तावित' पैरा 13
सिगरेट अथवा कोई अन्य तम्बाकू उत्पादः सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का आयात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन होगा (इसका ब्यौरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटः www.mohfw.nic.in से लिया जा सकता है)।	**सिगरेट अथवा कोई अन्य तम्बाकू उत्पादः** सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का आयात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन होगा (इसका ब्यौरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटः www.mohfw.nic.in से लिया जा सकता है)।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः**– आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) की आयात नीति संबंधी सामान्य टिप्पणी के पैरा 13 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2017 के अनुरूप संशोधन किया गया है।

[फा. सं. मोन–6872/एएम–04/पीसी–2 (क)/खण्ड III]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2017

No. 18/2015-2020

Subject: Amendment in Para 13 of the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy).

S.O. 2433(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 13 of the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy), as under:

Existing Para 13 of the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017	Existing Para 13 of the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017
Cigarettes or any other Tobacco product: Import of cigarette or any other tobacco product shall be subject to the provisions contained in the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2009 (as amended from time to time) as notified by the Ministry of Health & Family Welfare (the details can be accessed from the website of the Ministry of Health & Family Welfare: www.mohfw.nic.in)	**Cigarettes or any other Tobacco product:** Import of cigarette or any other tobacco product shall be subject to the provisions contained in the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2017 (as amended from time to time) as notified by the Ministry of Health & Family Welfare (the details can be accessed from the website of the Ministry of Health & Family Welfare: www.mohfw.nic.in)

2. **Effect of this Notification**:—Para 13 of the General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy), has been amended in consonance with Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2017.

[F. No. Mon.-6872/AM-04/PC-2 (A)/Vol. III]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.03 15:37:13 +05'30'